बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0–1/04–09–36–2024 पटना, दिनांक–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत वरीयता सह योग्यता के आधार पर योग्य पाये गये निम्नांकित प्रा0अ0नि0 (प्रशि0) को प्रा0पु0नि0 (प्रशि0) में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–7) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:–

क्र0	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	मूल कोटि में नियुक्ति की तिथि (पदनाम सहित)
1	2	3	4
1	छोटेलाल राम 30.10.66/भोजपुर	खगड़िया	सिपाही 01-12-84

02. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) से आच्छादित उक्त पदाधिकारी से इस आशय का न्यायिक शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा उनके विरूद्ध निगरानी/आपराधिक/फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ पत्र के उपरान्त ही संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का क्रियान्वयन करेंगे।

03. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित पदाधिकारी के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध निगरानी/फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगी।

04. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्यधीन है।

05. सरकारी सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित/रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

06. इस आदेश से आच्छादित पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन वाला जिला/इकाई/कार्यालय में कार्यरत रहेंगे।

07. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (प्रशिक्षण) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

08. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् कार्यालय/इकाई में स्वीकृत पद से अधिक संख्या में पदाधिकारी के हो जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय/इकाई प्रधान अविलंब पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

27/11/24

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

D/P1/Manish kr./ofc order

ज्ञापांक–पी0–1 / 04–09–36–2024 / 472 पटना, दिनांक– 27/11/24

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस उप–महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को यह आदेश बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/11/24

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

D/P1/Manish kr./ofc order